न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—187/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/187)

1. बजरंग पुत्र श्री चन्द्रा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम सलारी, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. बजरंग पुत्र रघुनाथ
2. मिश्रीलाल पुत्र रामनारायण
3. रतना पुत्र उगमा
4. रामदेव पुत्र उगमा
5. बद्री पुत्र भूरा
   सभी जाति कुमावत, निवासी सलारी तहसील केकडी, जिला अजमेर।
6. हंसराज पुत्र गोपाल
7. रामविलास पुत्र गोपाल
8. गोपाल पुत्र गोमा
   सभी जाति कुमावत, निवासी उम्मेदपुरा (सलारी), तहसील केकडी, जिला अजमेर।
9. गोकल पुत्र बरधा
10. मूलचन्द पुत्र बरधा
11. उंकार पुत्र बरधा
12. रामनारायण पुत्र बरधा
13. रामसुख पुत्र बरधा
    सभी जाति कुमावत, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा हाल थली तहसील देवली जिला टोंक।

रेस्पोडेंट्स

14. सीताराम पुत्र हजारी
15. रामनिवास पुत्र हजारी
    सभी जाति कुमावत, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा (सलारी) तहसील केकडी जिला अजमेर।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 राजस्व वाद संख्या 13/2019 (2019/00084)

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मनीष खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 6 से 12
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 16
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 13 से 15 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 24.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2019 (2019/00084) में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 13 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तरतीबी रेस्पोडेंट संख्या 14 लगायत 16 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 07.09.2021 को पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2019 (2019/00084) में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 13 से 15 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी जो कि वादग्रस्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए गैर कानूनी रूप से प्रार्थी की आराजीया में से रास्ता कायम करवाने का आदेश प्राप्त कर लिया जबकि विवादित आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 789 रकबा 1.800 हैक्टर व खसरा नम्बर 802 रकबा 0.1700 हैक्टर का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.9.2021 से प्रभावित एवं पीडित पक्षकार होने तथा उक्त निर्णय से प्रार्थी के हक एवं अधिकारों पर कुठाराघात होने से उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थीया व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

R.B.J(8)2001 PAGE 313-***"CIVIL PROCEDURE CODE, 1908-SECTION 96****- when a person is not a party in the lower court, but if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".*

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी जो कि वादग्रस्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए गैर कानूनी रूप से रास्ता कायम करवाने का आदेश प्राप्त कर लिया। प्रार्थी करीब 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है व पढ़ा लिखा नहीं है जो यह समझ सके कि उपरोक्त आदेश की अपील समयावधि में पेश किया जाना अनिवार्य है। इसलिए प्रार्थी ने अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत नहीं की जो कि सदभाविक व कानूनी अज्ञानता के कारण हुई है जो कानूनन क्षमा किए जाने योग्य है। अभी हाल ही में दिनांक 23.5.2023 को जब अप्रार्थीगण मौके पर आकर जबरन रास्ता कायम करने लगे तो प्रार्थी ने न्यायालय में जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिन्होंने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की कानूनी सलाह प्रदान की जिस पर दिनांक 24.5.2023 को प्रार्थी ने नकल हेतु आवेदन किया एवं नकल प्राप्त की तथा फीस आदि का प्रबन्ध कर अजमेर आया एवं अविलम्ब उक्त अपील तैयार करवा कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है ताकि 80 वर्षीय सीनियर सिटिजन प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके। मियाद अधिनियम प्रक्रियात्मक अधिनियम होने से प्रक्रिया के तहत एवं तकनीकी के आधार पर किसी भी प्रकरण में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता एवं न ही प्रक्रिया के आधार पर किसी व्यक्ति के हक एवं अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। इसलिए उपरोक्त अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को कन्डोन किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 789 रकबा 1.800 हैक्टर जाव 2 व खसरा नम्बर 802 रकबा 0.1700 हैक्टर किस्म नहरी–1 का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चला आ रहा है जो कि जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 से पूर्णतया स्पष्ट है। इसके बावजूद भी बिना अपीलांट को पक्षकार मुर्तिब किये बगैर, बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता प्रदान करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो कि अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने

योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने नियम 69 के तहत हल्का पटवारी द्वारा मुर्तिब रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है चूंकि नियम 69 के तहत तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक (आई.एल.आर.) से नीचे के अधिकारी से धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट तलब नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी केकडी ने उपरोक्त कानूनी बिन्दु के विपरीत जाकर रिपोर्ट हल्का पटवारी से मंगवाई जाकर अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से बिना पक्षकार मुर्तिब किये रास्ता कायम करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो कि प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 789 रकबा 1.800 हैक्टर व खसरा नम्बर 802 रकबा 0.1700 हैक्टर भूमि जमाबन्दी के अनुसार अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसके बावजूद विपक्षीगण ने आपस में कोल्यूजन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार एवं आई.एल.आर. व हल्का पटवारी ने उपरोक्त तथ्यों को छुपाते हुए उनके द्वारा मुर्तिब रिपोर्ट में अंकन किये बगैर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता कायम करने का गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2019 (2019/00084) में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069–72 में अंकित हमारी जोत निम्नलिखित खसरा नंबर 799 रकबा 0.07 किस्म नहरी 1, व खसरा नंबर 805 रकबा 0.07 किस्म नहरी 1 खसरा नंबर 806 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म नहरी 1, खसरा नंबर 792 रक्वा 0.16 हैक्टर किस्म नहरी 1 खसरा नंबर 779 रकबा 0.54 हैक्टर किस्म नहरी 1 व खसरा नंबर 801 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म नहरी 1 वाकै ग्राम सलारी तहसील केकड़ी में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त वर्णित आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फुट चौड़ा है जो खसरा नंबर 793 रकबा 0.01 हेक्टर किसम नहरी 1 व खसरा नंबर 794 रकबा 0.02 हैक्टर, किस्म नहरी 1, खसरा नंबर 800 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म नहरी 1 व खसरा नंबर 803 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म नहरी 1 स्थित है। यह आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के खातेदारी में दर्ज है और प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी में आने जाने का रास्ता वर्तमान खसरा नम्बर 793, 794, 800, 803, 804 में मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के

हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 07.09.2021 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 799, 805, 806, 792, 779, 801 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 794, 789, 792, 801, 802, 793, 798, 799, 805 में से रास्ता कायमी के आदेश पारित किए गए।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 233 के खसरा नम्बर **789** व **802** का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों खसरों में से रास्ता कायमी के आदेश बिना अपीलांट को प्रकरण पक्षकार कायम किए पारित किए गए। जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक रिकार्डेड खातेदार को प्रकरण में पक्षकार कायम किए या सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए प्रकरण में पारित किया गया निर्णय न्याय सिद्धांतों के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया जिससे वह अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वार प्रकरण में बिना तथ्यों का परीक्षण किए व बिना राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट प्रकरण में एक आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है जिसे सुना जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2019 (2019/00084) में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि अपीलांट को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए तथा प्रकरण में दिए गए रास्ते की चौडाई का भी अंकन कर प्रकरण में पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.04.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर